कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक :3502 /वाद सं0 एल–0135/एस–डोईवाला/2024 दिनांक 05.02.2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री गुरूप्रीत एवं राजा स्थल मारखम ग्रांट धर्मु चक निकट शुशवा नदी डोईवाला देहरादून द्वारा बिना अनुमति/स्वीकृति के स्थल पर लगभग 65 बीघा भूमि पर सी.सी. सडक हेतु भू–खण्डों का डिमार्केशन आदि का कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन किये जाने के कारण वाद संख्या एल–0135/एस–डोईवाला/2024 योजित किया गया। उक्त चालान भुदा अवैध निर्माण को दिनांक 27.2.25 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष रानीपोखरी को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
तहसील डोईवाला।

प्रतिलिपिः–

1. नायब तहसीलदार डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित रहे।
2. थानाध्यक्ष डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं एवं प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर स्थल में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्त की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक वाहन एवं जे0सी0बी मशीन संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री गुरूप्रीत एवं राजा स्थल मारखम ग्रांट धर्मु चक निकट शुशवा नदी डोईवाला देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। स्थल पर उपस्थित रहें अपना समान हटा लें। भोश भातें पूर्व पत्रांक 4597 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार मान्य होगी।

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
तहसील डोईवाला।

13/2/26

13/2/26

13/2/26